भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1713

02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि को बढ़ावा

1713. श्री बैन्नी बेहननः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल में कृषि हेतु राजसहायता- प्राप्त आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराने की दिशा में कोई नई योजना लाई जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल में प्रति वर्ष सरकार द्वारा आयोजित कृषि कक्षाओं और अभियानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में कृषि को बढ़ावा देने हेतु नई परियोजनाएं शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): कृषि उपकरण और मशीनरी आधुनिक कृषि के लिए आवश्यक आदान हैं। इनसे मानव श्रम और खेती की लागत में कमी होने के अलावा उत्पादकता में वृद्धि होती है। इनसे अन्य आदानों के उपयोग की दक्षता में सुधार करने में भी सहायता मिलती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) ने केरल सहित संपूर्ण देश के लिए वर्ष 2014-15 से कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) नामक एक समर्पित योजना शुरू की है जिसके तहत जुताई, बुआई, रोपाई, फसल कटाई, पकाई, थ्रेशिंग, पौध सरंक्षण, अंतर-फसलन और अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि यंत्रीकरण घटक विभिन्न योजनाओं जैसे समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन (एनएमओओपी) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत भी शामिल हैं।

केरल सरकार के लिए एसएमएएम, एमआईडीएच, एनएफएसएम, और एनएमओओपी के तहत निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

आरकेवीवाई के तहत कृषि यंत्रीकरण से संबंधित स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और इन परियोजनाओं की लागत का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-।।** पर संलग्न है।

केरल सरकार ने कृषि सेवा केन्द्र और सेवा आपूर्ति तथा कृषक कर्म सेना की शुरूआत की है। ब्लॉक स्तर पर कृषि सेवा केन्द्रों और पंचायत स्तर पर कृषक कर्म सेना के माध्यम से आधारभूत स्तर पर किसानों के अनुरोध पर किराए पर सेवाएं देने के लिए किसान समूहों को आवश्यक उपकरणों, कृषि उपस्करों और मशीनरी की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है।

(ख): केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार

i. वर्ष 2013 से 2018 के दौरान ट्रैक्टर, पावर टिलर, ट्रांसप्लांटर, रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि जैसे सभी संबंधित कृषि मशीनरियों के प्रचालन, अनुरक्षण और रखरखाव के क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर कृषि सेवा केन्द्रों के माध्यम से 15 दिवसीय 79 व्यावहारिक प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की गई थी।
ii. वर्ष 2015 से 2018 के दौरान ट्रैक्टर, पावर टिलर, ट्रांसप्लांटर, रीपर आदि जैसे सभी संबंधित कृषि मशीनरियों के प्रचालन, अनुरक्षण और रखरखाव के क्षेत्र में ग्राम पंचायत के स्तर पर कृषक कर्म सेना के माध्यम से 15 दिवसीय 200 व्यावहारिक प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन किया गया।
iii. वर्ष 2018 के दौरान फसलोपरांत प्रौद्योगिकी, जैव-उर्वरक, समेकित कीट प्रबंधन, वैज्ञानिक रूप से खेती, फसलोपरांत प्रबंधन, कृषि प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, जैविक खेती, हाइटैक कृषि, कृषि यंत्रीकरण और विपणन जैसे कृषि क्षेत्र में 8 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान अर्थात कृषि विभाग, केरल सरकार के एसएएमईटीआई (राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से अधिकारियों और किसानों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में 3821 अधिकारियों और 7174 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) एवं (घ): राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान की वार्षिक कार्य योजना में शामिल की गई नई परियोनाओं का विवरण अनुबंध-।।। पर दिया गया है:

अनुबंध-।

पिछले तीन वर्षों के दौरान यंत्रीकरण घटकों के लिए डीएसीएंडएफडब्ल्यू की विभिन्न योजनाओं के लिए केरल राज्य को जारी की गई निधि का राज्यवार और वर्ष-वार विवरण ।

वर्ष	योजना का नाम (रूपए करोड़ में)				
	एसएमएएम	एनएफएसएम	एमआईडीएच	एनएमओओपी	कुल
2016-17	1.0	0.129	6.01	-	7.139
2017-18	9.79	0.128	3.70	-	13.618
2018-19	10.37	0.031	3.86	-	14.261
वर्ष	21.16	0.288	13.57	-	35.08

एसएमएएम: कृषि यांत्रिकीकरण उप मिशन
एमआईडीएच: समेकित बागवानी विकास मिशन
एनएफएसएम: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एनएमओओपी: राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन
आरकेवीवाई: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

अनुबंध : II

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान आरकेवीवाई के तहत कृषि यंत्रीकरण में संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या और परियोजनाओं की लागत (रु. करोड़ में)

केरल	2014-15	1	4.00
	2016-17	1	3.00
	2017-18	1	6.19

(क) वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल की गई नई परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(1) वीएआईजीए- कृषि प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में शामिल उद्यमियों के कृषि प्रदर्शन सह व्यवसाय सत्र में आय सृजन के लिए मूल्यवर्धन।

(ख) वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल की गई नई परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(1) जैव विविधता और स्थानीय जर्मप्लाजम का एकत्रीकरण-केरल राज्य बीज विभाग प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय धान की किस्मों के 20 मीट्रिक टन बीज एकत्रित किए गए।

(2) केरल कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से बीज बैंक की स्थापना।

(3) फल, फूल और औषधीय पौधों का विकास-स्वदेशी किस्मों, निर्यात-उन्मुखी केले के विकास, फूल की खेती की इकाईयों के निर्माण को सहायता देना।

(4) विशेष कृषि जोन-15 विशेष कृषि जोन (5 फसलों अर्थात चावल, नारियल, सब्जी, केला, फूल पर आधारित) और जनजातीय कृषि की पहचान की गई। प्रत्येक जोन के लिए डीपीआर तैयार की गई। क्षेत्र विस्तार, अवसंरचना विकास, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाएं शुरू की गई।

(ग) वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल की गई नई परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

i. (1) कुट्टनाड जीएपी (अच्छी कृषि पद्धतियाँ) खरपतवारों का जैव नियंत्रण, पारिस्थितिकी इंजीनियरिंग, धान के लिए जीएपी पद्धतियों को अपनाना,

(2) उत्पादों अर्थात उदयुर मुलकु और मरयूर सरकार के लिए जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ। ।

(3) ई-मार्केटिंग के लिए मोबाइल ऐप पोर्टल्स,

(4) किसानों के साथ माननीय कृषि मंत्री का मासिक फोन कार्यक्रम

(5) केरल राज्य कृषि यंत्रीकरण मिशन का निर्माण- कृषि सेवा केंद्र, कृषक कर्म सेना के समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय।

(6) कृषि मशीनरी सेवा केंद्रों की स्थापना।

(7) गुणवत्ता नियंत्रण प्रवर्तन विंग का गठन

(8) त्रिशूर में प्रायोगिक परियोजना के रूप में होमस्टेड के विपणन के लिए कृषक मित्र

ii. कुट्टानाड में कृषि क्षेत्र का विकास- यह योजना कुट्टानाड क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए प्रस्तावित है। कुट्टनाड में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 2000 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त बुनियादी ढांचे और जोखिम प्रबंधन कारकों के लिए भी सहायता प्रदान करना है। प्रस्तावित मुख्य घटक का उद्देश्य कुट्टनाड की नम भूमि की समस्याओं के शमन के लिए जोखिम प्रबंधन पैकेज प्रदान करना है जिसका उपयोग फसल/कृषि प्रणाली में परिवर्तनों/संशोधनों से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। यह स्थापना के लिए उच्चे उठे प्लेटफॉर्म के निर्माण सहित पारंपरिक पेटी और पैरा के प्रतिस्थापन, दोबारा पानी देने के लिए ऊर्ध्वाधर अक्षीय प्रवाह पंपों/सबमर्सिबल लगाने का भी प्रस्ताव है।

iii. **सुपारी पैकेज-** सुपारी क्षेत्र और उत्पादन के मामले में सुपारी में गिरावट की प्रवृति दिख रही हैं। ऐसा महाली (फ्रूट रोफ) जैसे की घटनाओं और उत्तम रोपण सामग्रियों की अनुपलब्धता आदि के कारण हुआ है। वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्र विस्तार, पादप संरक्षण और अन्य प्रबंधन और अभ्यासों के लिए सुपारी क्षेत्र के विकास के लिए 200 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

iv. नारियल विकास परिषद के भाग के रूप में केरल में नारियल पाम का पुनर्वास और कायाकल्प- नारियल केरल की पारंपरिक फसल के साथ-साथ मुख्य फसल है। लेकिन जब दूसरे पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाती है तो केरल में नारियल पाम की उत्पादकता कम है। वर्तमान परिदृश्य में बदलाव लाने के उद्देश्य से केरल सरकार ने नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने और क्षेत्र विस्तार करने तथा इस क्षेत्र के समग्र उत्थान के उद्देश्य से विकास परिषद का गठन किया है। इस परिषद की गतिविधियां 2018-28 के 10 वर्षीय दृष्टिकोण से नियोजित हैं। पहले चरण में नारियल विकास 2019-20 योजना के तहत इस घटक के लिए 19 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। मूलभूत गतिविधियां शुरू करने वालों में उत्तम गुणवत्ता के पौधों की आपूर्ति, पुन:रोपण और इन पौधों से मौजूदा नारियल पौधों का रोपण करना शामिल है जो राज्य में नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

v. कार्यालय स्वचालन और आईटी अवसंरचना- इस योजना का उद्देश्य कृषि विभाग में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन करना है जो उत्पादकता, गुणवत्ता, संसाधन प्रबंधन, टर्नएराउंड टाईम में सुधार करके तथा इलैक्ट्रानिक फाईल प्रणाली से पुरानी मैनुअल प्रक्रिया को बदलकर पारदर्शिता को बढ़ावा देकर संगठनात्मक प्रभावशालिता के लिए एकीकृत समाधान करना है।

vi. **फसलोपरांत प्रबंधन और मूल्यवर्धन-** यह कृषि के द्वारा केरल की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करने में अति महत्वपूर्ण है। शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना मूल्यवर्धन और कृषि जिंसों के निर्यात के लिए एक अतिरिक्त आवश्यकता है। राज्य में शीत श्रृंखला की स्थापना के लिए एक अध्ययन कराना भी प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र और कृषि व्यवसाय इंक्यूवेशन में परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

****